

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2011—माघ 8, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. बी-1-52-2010-2-पांच(2).—मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3-ख के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए किसी विनिर्माणी के निर्माण तथा संचालन हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन फीस रुपए 10,000/- निर्धारित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. बी-1-52-2010-2-पांच(2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-52-2010-2-पांच(2), दिनांक 28 जनवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th January 2011

F. No. B-1-52-2010-2-Five(2).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 3-B of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, the State Government, hereby, determines the Fee of Rs. 10,000/- for the application for licence to construct and run a manufactory for manufacture and bottling of country liquor.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. बी-1-52-2010-2-पांच(3).—मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3-ख के उपनियम (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए किसी विनिर्माणी के निर्माण तथा संचालन की अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रुपए 2,00,000/- निर्धारित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. बी-1-52-2010-2-पांच(3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-52-2010-2-पांच(3), दिनांक 28 जनवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th January 2011

F. No. B-1-52-2010-2-Five(3).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (12) of rule 3-B of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, the State Government, hereby, determines the annual licence fees of Rs. 2,00,000/- for the licence to construct and run a manufactory for manufacture and bottling of country liquor.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. बी-1-52-2010-2-पांच(4).—मध्यप्रदेश देशी मदिरा नियम, 1995 के नियम 3-च के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, देशी स्पिरिट के ऐसे प्रत्येक नामपत्र (लेबिल) जो राज्य में विक्रय की जाएंगी या परिवहित की जाएंगी या मध्यप्रदेश राज्य से निर्यात की जाएंगी या मध्यप्रदेश राज्य में आयात की जाएंगी, के प्रथम रजिस्ट्रीकरण के समय रुपये 10,000/- रजिस्ट्रीकरण शुल्क एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए रजिस्ट्रीकरण नवीकरण शुल्क रूपए 1000/- पैकिंग सामग्रीवार (जैसे कांच, पेट आदि), उपयोगिता के अनुसार (जैसे स्थानीय, निर्यात आदि) और पात्र की धारितावार (जैसे 750, 375, 180 मिलीलीटर आदि) पृथक्-पृथक् निर्धारित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. बी-1-52-2010-2-पांच(4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-52-2010-2-पांच(4), दिनांक 28 जनवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th January 2011

F. No. B-1-52-2010-2-Five(4).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 3-F of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, the State Government, hereby, determines the registration fee of Rs. 10,000/- at the time of first registration and registration renewal fee of Rs. 1,000/- for every financial year or part thereof, for each label of country spirit, which may be sold in or transported in or exported from or imported into the State of Madhya Pradesh, separately packing material wise (viz glass, PET etc.), as per usage (viz local, export etc.) and containers capacity wise (viz 750, 375, 180 mililitres etc.)

2. This notification shall come into force from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. बी-1-52-2010-2-पांच(5).—मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, देशी मदिरा की बोतल भराई इकाई सी. एस. 1-ख के लिए पर्यवेक्षण प्रभार रुपए 60,000/- प्रतिमाह की दर से निर्धारित करती है. यह राशि तिमाही आधार पर जमा की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. बी-1-52-2010-2-पांच(5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-52-2010-2-पांच(5), दिनांक 28 जनवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th January 2011

F. No. B-1-52-2010-2-Five(5).—In exercise of the powers conferred by rule 11-A of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, the State Government, hereby, determines the Supervision charges for CS 1-B bottling unit of country liquor at the rate of Rs. 60,000/- per month. This amount will be deposited on quarterly basis.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.